संख्या-80/2024/I/735013/2024/001-71-2099-101-2021

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 06 सितम्बर, 2024**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2024-25 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के खदरा परिसर में निर्माणाधीन न्यू हॉस्टल ब्लाक के निर्माण कार्य में शेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु परियोजना के पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-3226/योजना अनु0/2024, दिनांक 09-07-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के खदरा परिसर में निर्माणाधीन न्यू हॉस्टल ब्लाक के निर्माण कार्य में शेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु परियोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 15703.72 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 4304.06 लाख मे से 05 प्रतिशत (रू0 785.14 लाख) रोकते हुए धनराशि रू0 3518.92 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर में न्यू हास्टल ब्लाक के निर्माण हेतु अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 15702.72 (रू0 एक अरब सत्तावन करोड दो लाख बहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 11398.66 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के खदरा परिसर में निर्माणाधीन न्यू हॉस्टल ब्लाक के निर्माण कार्य में शेष कार्यो को पूर्ण कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में के0जी0एम0यू0 के 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि में से धनराशि रू0 3518.92 लाख (अनुदान संख्या-31 से रू0 2779.94 लाख एवं अनुदान संख्या-83 से रू0 738.98 लाख) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) **जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक देय धनराशि के आधार पर अनुमन्य होगी।**
2) **प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित फर्नीचर का क्रय एवं स्थापना हेतु रू0 273.34 लाख को अनुमन्य नहीं किया गया है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेन्स के प्राविधान को अनुमन्य नहीं किया गया है।

4) प्रायोजना में वाह्य विद्युत संयोजक हेतु रू0 100.00 लाख का प्राविधान किया गया है। इसका विस्तृत आगणन उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से प्राप्त कर वास्तविकता के आधार पर भुगतान किया जाय।

5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों की परीक्षण किया गया है। मात्राओं की निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/ कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 का होगा।

6) प्रायोजनान्तर्गत लिफ्ट हेतु बजटरी आफर/कोटेशन के आधार पर लागत प्रस्तावित की गयी है। क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करेगी। चूँकि यह प्रोपाइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनक शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेशफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वभाविक है। कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

7) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तद्नुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यो के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

9) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26.08.2014 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10) पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24.03.2020 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11) कुलपति/कुलसचिव, के0जी0एम0यू0 यह सुनिश्चित करेगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्र0वि0 की होगा।

12) प्रायोजना की मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश संख्या-22/2015/3683/71-2-14-के0जी0एम0यू0-89/2013, दिनांक 18-02-2015 एवं प्रायोजना के पुनरीक्षण संबंधी शासनादेश संख्या-139/2022/155/2020/001-71-2099-101-2021, दिनांक 21-11-2022 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

13) प्रायोजना के शर्त यथाशीघ्र पुनरीक्षित लागत की सीमा में पूर्ण कर लिए जाएंगे।

14) कार्यदायी संस्था को आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज देय होगा।

15) आगणन में वर्णित लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में दी गयी व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

17) धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 27,79,94,000 (रुपये सत्ताईस करोड़ उनासी लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050600 किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,उत्तर प्रदेश मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 7,38,98,000 (रुपये सात करोड़ अड़तीस लाख अट्ठानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4210037893100 के0जी0एम0यू0, लखनऊ मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-80/2024/।/735013/2024/001-71-2099-101-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा, शिक्षा विभाग।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
8. वित्त ई-3 ।
9. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।